



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16092025-266177
CG-DL-W-16092025-266177

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, सितम्बर 7—सितम्बर 13, 2025, शनिवार/भाद्र 16—भाद्र 22, 1947
No. 32] NEW DELHI, SEPTEMBER 7—SEPTEMBER 13, 2025, SATURDAY/ BHADRA 16—BHADRA 22, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में प्रोफेसर सह उप प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, प्रोफेसर कम उप प्रधानाचार्य, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रोफेसर कम उप प्रधानाचार्य	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200 रुपये)।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) ।	प्रोन्नति: नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के ऐसे असोसिएट प्रोफेसर जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो एवं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ साथ नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11(67700-208700/- रुपये) नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव धारण करते हों: अनिवार्य: - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री; - किसी राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत। - नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ बारह वर्षों का अनुभव जिसमें से कॉलेजिएट कार्यक्रम में न्यूनतम दस वर्षों के अध्यापन का अनुभव। - राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र सरकार में नर्सिंग में प्रशासन में तीन वर्षों का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में एम.फिल या पी. एचडी। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष और मेंबर, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. अतिरिक्त महानिदेशक या उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/01/2023-एमई/एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th September, 2025

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor cum Vice Principal in the Ministry of Health and Family welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Professor cum Vice Principal, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Professor cum Vice Principal	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (Including Short-term Contract).	Promotion: Associate Professor of College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in level-11 of the pay matrix with five years regular service in the grade and have undergone training in Nursing Education and Administration with Post graduation in Nursing from a recognised University or Institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administration or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service rendered after appointment in the pay matrix level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience as under: Essential: (i) Masters degree in Nursing from a recognised University or Institute;

			(ii) registered as a Nurse and Midwife with a State Nursing Council; (iii) twelve years experience with Masters degree in Nursing out of which ten years should be teaching experience with minimum five years in collegiate programme; and (iv) three years of experience in administration in Nursing in State Government or Union territories Administration or Central Government. Desirable: M. Phil or PhD in Nursing from a recognised university. Note 1: - period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- - Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairperson; - Additional Director General of Health Services or Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services - Member; - Director (Administrative and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; - Nursing Advisor or Assistant Director General (Nursing), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/01/2023-ME/MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 150.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, वर्ग “क” पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक इनका संबंध सलाहकार (बागवानी) पद से है, सिवाय उन बातों को अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (बागवानी) के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, निदेशक (बागवानी) समूह “क” पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वह होगा/वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
निदेशक (बागवानी)	*1 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100 – 215900/- रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण – आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में बागवानी सहित कृषि में मास्टर्स डिग्री ; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी में मास्टर्स; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विषय के रूप में बागवानी के साथ वनस्पति शास्त्र (बॉटनी) में मास्टर्स डिग्री ; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लैंडस्केप आर्किटेक्चर या बागवानी में एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ कृषि में स्नातक डिग्री ; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लैंडस्केप आर्किटेक्चर या बागवानी में एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ वनस्पति शास्त्र में स्नातक डिग्री ; या (vi) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लैंडस्केप आर्किटेक्चर या बागवानी में एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बागवानी में स्नातक डिग्री ; और (ख) अलंकृत बागवानी सहित बागवानी के कार्य में 12 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 – अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण:- सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
(11)	
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों, कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय -सदस्य 3. आर्थिक सलाहकार (आर्थिक और मॉनिटरी), पूर्वोत्तर परिषद -सदस्य	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. NEC-17/16/2022-O/o US(NEC)]

पर्णा साहाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

New Delhi, the 8th September, 2025

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the post of Adviser (Horticulture), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of

Director (Horticulture) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Ministry of Development of North Eastern Region, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Horticulture), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director (Horticulture).	01 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding fifty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(a) (i) Master's degree in Agriculture with Horticulture as a subject from a recognised University or institute; or (ii) Master's degree in Horticulture from a recognised University or institute;	Not applicable.
Note.- The crucial date for	or	

determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	(iii) Master's degree in Botany with Horticulture as a subject from a recognised University or institute; or (iv) Bachelor's degree in Agriculture with one year Post graduate diploma in Landscape Architecture or Horticulture from a recognised University or institute; or (v) Bachelor's degree in Botany with one year Post graduate diploma in Landscape Architecture or Horticulture from a recognised University or institute; or (vi) Bachelor's degree in Horticulture with one year Post graduate diploma in Landscape Architecture or Horticulture from a recognised University or institute; and (b) Twelve years experience in Horticulture work including ornamental gardening. Note 1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	---	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits. Note.-There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of	By deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, autonomous body, statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in

the probation as prescribed by the Central Government.		the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1.-The period of deputation (including short- term contract) including the period of deputation (including short- term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2.-The maximum age- limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipts of applications.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Secretary, North Eastern Council, Secretariat, Shillong - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region - Member; 3. Economic Adviser (Economic and Monitoring), North Eastern Council - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary in case of direct recruitment.

[F. No. NEC-17/16/2022-O/o US (NEC)]

PARNA SAHANA, Under Secy.